

फ़ाइल संख्या 06/07/2024-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य कर विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक 19.08.2024

मौखिक सुनवाई के लिए नोटिस

विषय: चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पामिटेट" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच की मौखिक सुनवाई।

1. चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले "विटामिन-ए पामिटेट" के आयात के संबंध में डंपिंग रोधी जांच 28.03.2024 को सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (एडी नियम) के तहत शुरू की गई थी। एडी नियमों के नियम 6 (6) के अनुसार "नामित प्राधिकारी किसी इच्छुक पक्ष या उसके प्रतिनिधि को जांच से संबंधित जानकारी मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ऐसी मौखिक जानकारी को नामित प्राधिकारी द्वारा तभी ध्यान में रखा जाएगा, जब इसे बाद में लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा" ।
2. आपकी जानकारी के लिए यह है कि उपर्युक्त जांच में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 29.08.2024 को सुबह 11 बजे मौखिक सुनवाई निर्धारित की है । यह सुनवाई हाइब्रिड मोड में होगी, यानी डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (डीवीसी) के माध्यम से और डीजीटीआर, चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001 के कॉन्फ्रेंस रूम में शारीरिक रूप से होगी।
3. आपको सुनवाई की तिथि पर बताई गई तिथि और समय के भीतर सुनवाई में व्यक्त किए गए विचारों के लिखित प्रस्तुतिकरण और प्रत्युत्तर (गोपनीय और अगोपनीय संस्करण) प्रस्तुत करने होंगे।

4. कृपया सुनवाई में भाग लेने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम और ईमेल पते की जानकारी दें। डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विवरण जल्द ही पंजीकृत इच्छुक पक्षों के साथ साझा किया जाएगा।
5. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए प्रतिभागी तकनीकी समन्वयक के मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। (श्री आसिफ, मोबाइल नं. +91-9315422937)

एसडी/-

(राजीव कुमार सोनी)

निदेशक (एफटी)

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in

टेलीफोन नंबर 011-23408728